न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 039 / 2020 दायर दिनांक–02–03–2020

1. मोहम्मद युसुफ पुत्र इब्राहीम उर्फ बिरमा उफ बिरामा
2. मोहम्मद सलीम पुत्र इब्राहीम उर्फ बिरमा उफ बिरामा
3. मोहम्मद कासम पुत्र इब्राहीम उर्फ बिरमा उफ बिरामा
4. असलम अली पुत्र इब्राहीम उर्फ बिरमा उफ बिरामा

जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)

––––वादीगण

बनाम

1. लाली बानो पत्नी इब्राहीम उर्फ बिरामा
2. खातुन पत्नी मो0 सफी
3. मसुदा बानो पुत्री मो0 सफी
4. मो0 आरीफ पुत्र मो0 सफी
5. नजमा बानो पुत्री मो0 सफी
6. मो0 जाबेद पुत्र मो0 सफी
7. रुकसाना बानो पुत्री मो0 सफी
8. रहिसा बानो पुत्र मो0 सफी
9. मो0 साजिद पुत्र मो0 सफी
10. मो0 तारीफ पुत्र मो0 सफी
11. मो0 आसीफ पुत्र मो0 सफी
12. यासमीन बानो पुत्री मो0 सफी
13. मौंसिम पुत्र मो0 सफी
14. साजिदा बानो पुत्री मे0 सफी
15. मकबूल अहमद पुत्र इब्राहीम उर्फ बिरमा
16. अब्दुल सतार पुत्र इब्राहीम उर्फ बिरमा
17. मो0 इकबाल पुत्र इब्राहीम उर्फ बिरमा
18. खातिजा बानो पुत्री इब्राहीम उर्फ बिरमा
19. सायरा बानो पुत्री इब्राहीम उर्फ बिरमा
20. जेबुनिशा पुत्री आसीन
21. नाथू पुत्र आसीन
22. फारूक पुत्र आसीन
23. महबूब पुत्र आसीन
24. रहमत पुत्री आसीन
25. हाजरा बानो पुत्री आसीन

जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)

26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–––प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी : – श्री नरेन्द्र सिंह जाखल
वकील प्रति. नं. :– श्यामसुन्दर सैनी

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती व विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 28.09.2022

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में नई खाता संख्या 214 की भूमि खसरा न0 698 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा न0 699 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा न0 705 रकबा 1.35 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.25 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी वर्तमान में 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 19 के पूर्वज बिरमा उर्फ इब्राहीम पुत्र मंगतू के नाम व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण न0 20 लगायत 24 के नाम दर्ज शुदा है। उक्त भूमि को वर्णित वाद में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है, जिसके रिकार्ड दुरुस्ती बाबत वाद श्रीमान को पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है, जिसके पुराने खसरा न0 226/2 व 226/3 थे, जिससे ही नये खसरा न0 698, 699 व 705 बने है तथा सैटलमेन्ट से पूर्व भी उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 25 के पूर्वज बिरमा व आसीन पुत्रान मंगतू के नाम से थी, जिसका रिकार्ड वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 19 के पूर्वज बिरामा उर्फ इब्राहीम ही हिस्सेदारी की जमीन से सबंधित रिकार्ड की दुरुस्ती बाबत ही वाद पेश किया है, शेष 1/2 भूमि के काश्तकारों को तो सह–खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा बिरामा उर्फ इब्राहीम के नाम से दर्जशुदा है तथा वर्णित उक्त भूमि बिरामा उर्फ इब्राहीम की थी उक्त भूमि के साथ–साथ एक अन्य खाते की भूमि राजस्व ग्राम जाखल में स्थित थी, जिसके वर्तमान खसरा न0 611 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा न0 615 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा न0 616 रकबा 0.87 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 हैक्टर है। उक्त भूमि को खातेदार बिरमखां उर्फ इब्राहीम ने सन् 2002 में जरिये विक्रय पत्र रामकरण पुत्र चन्द्राराम जाति जाट को विक्रय कर दिया, जिसकी जमाबन्दी भी वाद पत्र के साथ पेश है, जिसको ''एक्स'' स्थान से दर्शाया गया है। उक्त भूमि को विक्रय करते समय इब्राहीम उर्फ बिरमा के वारिसान के मध्य यह समझौता हो गया था कि विक्रय की गई भूमि का प्रतिफल जो मिला है वह सम्पूर्ण राशि इब्राहीम के छोटे चारो पुत्रों के (वादीगण) के अलावा सभी अन्य वारिसान प्राप्त करेंगे व ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि (जिसका वाद पेश है) वादीगण के हिस्से में रहेगी व खातेदार बिरमा की मृत्यु के बाद चारों भाई (वादीगण) उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लेंगे, जिसकी एक लिखा पढी (इकरारनामा) भी दिनांक 12.10.2009 को इब्राहीमखां के जीवनकाल में लिख दिया गया जो वाद पत्र के साथ पेश है, जिसको ''वाई'' अक्षर से दर्शाया गया है। उक्त इकरारनामा व सभी पक्षकारान की सहमति से ही उक्त वर्णित भूमि का रिकार्ड वादीगण के नाम दर्ज करवाने बाबत उद्घोषणा का वाद श्रीमान की सेवामें पेश है।

नोट :– वर्णित वाद पत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 19 बिरमा उर्फ इब्राहीम के विधिक वारिसान है, इब्राहीम स्वंय व उसके बडे पुत्र मो0 सफी की मृत्यु हो चुकी है, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र पेश है, इब्राहीम व बिरमा एक ही व्यक्ति के दो नाम रिकार्ड व प्रचलन के नाम के अनुसार रहे है।

वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि [illegible] अन्य भूमि जो राजस्व ग्राम जाखल में स्थित थी, की एवज में व छोटे पुत्र होने के नाते पारि[illegible]ते व आपसी समझौते व सहूलियत के अनुसार प्राप्त हुई है, जिस पर काफी वर्षो से वादीगण [illegible] 1/8 हिस्से पर काबिज है व काश्त करते है, शेष 1/2 हिस्से की भूमि पर उस[illegible] काश्त करते है व उक्त कब्जे काश्त के अनुसार ही वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी स्वंय के नाम दर्ज[illegible]रवाना चाहते है, जिसके लिये उद्घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती का वाद श्रीमान की सेवा में पेश कर रहे है। उक्त वाद की उद्घोषणा द्वारा चाहे जाने वाले अनुतोष पर प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 19 पूर्ण सहमति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

वाद पत्र में प्रतिवादीगण न0 20 लगायत 25 को पक्षकार बनाया गया है, जिससे वाद में कोई सह–काश्तकार के कारण पक्षकारान का नुक्स नहीं रहे, इसलिये उनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वर्णित भूमि का वाद पैत्रिक भूमि का वाद है व विरासतन उद्घोषणार्थ करवाने का वाद किसी भी समय पेश किया जा सकता है, जिसका वादकारण हर क्षण पैदा ही रहता है, इसलिये युक्तियुक्त वादकारण होने से वाद श्रीमान की सेवा में पेश है। विवादित कृषि भूमि जो श्रीमान के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, इसलिये उक्त वाद सुनने का पूरा–पूरा श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध मे निवेदन किया कि :–

(क) वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम कारी में स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्से का खातेदार बिरमा पुत्र मंगतू है के नाम को हजफ कर उसके स्थान पर वादीगण न0 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) वाद पत्र की उक्त वर्णित भूमि खसरा न0 698, 699, 705 रकबा 3.25 हैक्टर के 1/2 हिस्से के (आसीन के वारिसान का प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा) दर्जशुदा रिकार्ड को यथावत रखा जावे।

(ग) वादीगण का 1/8, 1/8 हिस्सा उपरोक्त खसरा नम्बरान (698, 699, 705) में कब्जे के अनुसार खातेदार दर्ज करने बाबत तहसीलदार साहब,नवलगढ को आदेशित किया जावे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश होने वाद–पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 05, 7 लगायत 9, 11 लगायत 14, 16, 18 लगायत 23 व 25 की सम्यक तामिल होने के बावजूद उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वप दिनांक 16.03.2021 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 6, 10, 15, 17 व 24 की ओर वकील श्री श्यामसुन्दर शर्मा ने अपना वकालतनाम मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल किया है।

वाद में प्रतिवादी पक्ष के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाये जाने के कारण तनकियात कायम नही की गई।

वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य में PW 01 मोहम्मद कासम, PW 02 असलम अली के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खसरा नम्बर 698, 699, 705 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–02, सत्य प्रतिलिपि विहित खतौनी 1985 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2028–2031 प्रदर्श–4, जमाबंदी सम्वत् 2020–2023 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2055–2058 प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाण सफी मोहम्मद प्रदर्श–8, वारिसान/उतराधिकारी प्रमाण पत्र संरपंच ग्राम पंचायत जाखल प्रदर्श–9, इकरारनामा दिनांक 12.10.2009 प्रदर्श–10 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई है। जिससे शहादत प्रतिवादी की आवश्यकता नही रहती।

शहादत वादी पेश होने बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गई तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम कारी की सरहद में नई खाता संख्या 214 की भूमि खसरा न0 698 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा न0 699 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा न0 705 रकबा 1.35 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.25 हैक्टर भूमि की खातेदारी वर्तमान में 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 19 के पूर्वज बिरमा उर्फ इब्राहीम पुत्र मंगतू के नाम व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण न0 20 लगायत 25 के नाम दर्ज शुदा है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पैतृक [illegible] सके पुराने खसरा न0 226/2 व 226/3 थे, जिससे ही नये खसरा न0 698, 699 [illegible] भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 2[illegible] के नाम से थी। वादीगण व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 19 के पूर्वज [illegible] हिस्सेदारी की जमीन से सबंधित रिकार्ड की दुरुस्ती बाबत ही वाद है, शेष 1/2 भूमि के काश्तकारों को तो [illegible] खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा बिरामा उर्फ इब्राहीम के नाम से दर्जशुदा है तथा वर्णित उक्त भूमि बिरमा उर्फ इब्राहीम की थी उक्त भूमि के साथ–साथ एक अन्य खाते की भूमि राजस्व ग्राम जाखल में स्थित थी, जिसके वर्तमान खसरा न0 611 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा न0 615 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा न0 616 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

0.87 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 हैक्टर है। उक्त भूमि को खातेदार बिरमखां उर्फ इब्राहीम ने सन् 2002 में जरिये विक्रय पत्र रामकरण पुत्र चन्द्राराम जाति जाट को विक्रय कर दिया। उक्त भूमि को विक्रय करते समय इब्राहीम उर्फ बिरमा के वारिसान के मध्य यह समझौता हो गया था कि विक्रय की गई भूमि का प्रतिफल जो मिला है वह सम्पूर्ण राशि इब्राहीम के छोटे चारो पुत्रों के (वादीगण) के अलावा सभी अन्य वारिसान प्राप्त करेंगे व ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि (जिसका वाद पेश है) वादीगण के हिस्से में रहेगी व खातेदार बिरमा की मृत्यु के बाद चारों भाई (वादीगण) उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लेंगे, जिसकी एक लिखा पढी (इकरारनामा) भी दिनांक 12.10.2009 को इब्राहीमखां के जीवनकाल में लिख दिया गया। जो वाद पत्र के साथ पेश है, जिसको "वाई" अक्षर से दर्शाया गया है। उक्त इकरारनामा व सभी पक्षकारान की सहमति से ही उक्त वर्णित भूमि का रिकार्ड वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 19 बिरमा उर्फ इब्राहीम के विधिक वारिसान है, इब्राहीम स्वंय व उसके बडे पुत्र मो0 सफी की मृत्यु हो चुकी है, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र पेश है, इब्राहीम व बिरमा एक ही व्यक्ति के दो नाम रिकार्ड व प्रचलन के नाम के अनुसार रहे है।

वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि वादीगण को वादीगण के पिता की अन्य भूमि जो राजस्व ग्राम जाखल में स्थित थी, की एवज में व छोटे पुत्र होने के नाते पारिवारिक समझौते व आपसी समझौते व सहूलियत के अनुसार प्राप्त हुई है, जिस पर काफी वर्षो से वादीगण उक्त भूमि के 1/8, 1/8 हिस्से पर काबिज है व काश्त करते है, शेष 1/2 हिस्से की भूमि पर उसके चाचा आसीन के वारिसान काश्त करते है व उक्त कब्जे काश्त के अनुसार ही वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी स्वंय के नाम दर्ज करवाना चाहते है,। उक्त वाद की उद्घोषणा द्वारा चाहे जाने वाले अनुतोष पर प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 19 पूर्ण सहमति है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस विद्वान वादी अधिवक्ता का मनन किया गया। तथा दस्तोवजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम कारी की सरहद में नई खाता संख्या 214 की भूमि खसरा न0 698 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा न0 699 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा न0 705 रकबा 1.35 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.25 हैक्टर भूमि की खातेदारी वर्तमान में 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 19 के पूर्वज बिरमा उर्फ इब्राहीम पुत्र मंगतू के नाम व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण न0 20 लगायत 24 के नाम दर्ज शुदा है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है, जिसके पुराने खसरा न0 226/2 व 226/3 थे, जिससे ही नये खसरा न0 698, 699 व 705 बनाये जाने प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित होते है। तथा सैटलमेन्ट से पूर्व भी उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 25 के पूर्वज बिरमा व आसीन पुत्रान मंगतू के नाम से थी। वादीगण व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 19 के पूर्वज बिरामा उर्फ इब्राहीम ही हिस्सेदारी की जमीन से सबंधित रिकार्ड की दुरुस्ती बाबत ही वाद है, शेष 1/2 भूमि के काश्तकारों को तो सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा बिरामा उर्फ इब्राहीम के नाम से दर्जशुदा है तथा वर्णित उक्त भूमि बिरमा उर्फ इब्राहीम की थी उक्त भूमि के साथ–साथ एक अन्य खाते की भूमि राजस्व ग्राम जाखल में स्थित थी, जिसके वर्तमान खसरा न0 611 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा न0 615 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा न0 616 रकबा 0.87 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 हैक्टर है। उक्त भूमि को खातेदार बिरमखां उर्फ इब्राहीम ने सन् 2002 में जरिये विक्रय पत्र रामकरण पुत्र चन्द्राराम जाति जाट को विक्रय कर दिया। उक्त भूमि को विक्रय करते समय इब्राहीम उर्फ बिरमा के वारिसान के मध्य यह समझौता हो गया था कि विक्रय की गई भूमि का प्रतिफल जो मिला है वह सम्पूर्ण राशि इब्राहीम के छोटे चारो पुत्रों के (वादीगण) के अलावा सभी अन्य वारिसान प्राप्त करेंगे व ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि (जिसका वाद पेश है) वादीगण के हिस्से में रहेगी व खातेदार बिरमा की मृत्यु के बाद चारों भाई (वादीगण) उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लेंगे, जिसकी एक लिखा पढी (इकरारनामा) भी दिनांक 12.10.2009 को इब्राहीमखां के जीवनकाल में लिख दिया गया। जो वाद पत्र के साथ पेश है, जिसको "वाई" अक्षर से दर्शाया गया है। उक्त इकरारनामा व सभी पक्षकारान की सहमति से ही उक्त वर्णित भूमि का रिकार्ड वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 19 बिरमा उर्फ इब्राहीम के विधिक वारिसान है, इब्राहीम स्वंय व उसके बडे पुत्र मो0 सफी की मृत्यु हो चुकी है, प्रदर्श–8 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रमाणित होता है। इब्राहीम व बिरमा एक ही व्यक्ति के दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:47:26 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

नाम रिकार्ड व प्रचलन के नाम के अनुसार रहे है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि वादीगण को वादीगण के पिता की अन्य भूमि जो राजस्व ग्राम जाखल में स्थित थी, की एवज में व छोटे पुत्र होने के नाते पारिवारिक समझौते व आपसी समझौते व सहूलियत के अनुसार प्राप्त हुई है, जिस पर काफी वर्षो से वादीगण उक्त भूमि के 1/8, 1/8 हिस्से पर काबिज है व काश्त करते है, शेष 1/2 हिस्से की भूमि पर उसके चाचा आसीन के वारिसान काश्त करते है व उक्त कब्जे काश्त के अनुसार ही वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी स्वंय के नाम दर्ज करवाना चाहते है,। उक्त वाद की उद्‌घोषणा द्वारा चाहे जाने वाले अनुतोष वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम कारी में स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्से का खातेदार बिरमा पुत्र मंगतू है के नाम को हजफ कर उसके स्थान पर वादीगण न0 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व उचित प्रतीत होता है। तथा उक्त वर्णित भूमि खसरा न0 698, 699, 705 रकबा 3.25 हैक्टर के 1/2 हिस्से के (आसीन के वारिसान का प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा) दर्जशुदा रिकार्ड को यथावत रखा जाना उचित है। वादीगण का 1/8, 1/8 हिस्सा उपरोक्त खसरा नम्बरान (698, 699, 705) में कब्जे के अनुसार प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 19 द्वारा पूर्ण सहमति है। वाद–पत्र की धारा 1 में ही का वाद है उक्त खाता नम्बर 214 व खसरा नम्बर 698 रकबा 0.85 हैक्टर खसरा नम्बर 699 रकबा 1.05 हैक्अर खसरा नम्बर 705 रकबा 1.35 हैक्टर कुल किता 03 कुल करबा 3.25 हैक्टर भूमि राजस्व ग्राम कारी में स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 का पिता व पति के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है व इसी प्रकार 1/12–1/12 हिस्सा वादीगण के चाचा आसीन के संतान के नाम र्द शुदा है जो वाद में प्रतिवादीगण नम्बर 20 लगायत 25 है वर्णित वाद में इनके विरूद्ध न ही कोई रिलीफ चाही गई है इनको सह–खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनकी खातेदारी को यथावत रखा जाना उचित है। वर्णित वाद की भूमि में केवल 1/2 हिस्से के खातेदार बिरामा उर्फ ईब्राहीम की भूमि की ही उद्‌घोषणा चाही है चूंकि बिरामा की मृत्यु हो चुकी है व वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 बिरामा उर्फ ईब्राहीम के ही वारिसान है। वाद पत्र की धारा 3 में जिस भूमि का वर्णन किया जकार वादीगण द्वारा बिरामा उर्फ ईब्राहीम के वादीगण के अलावा शेष्ज्ञ प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 को ग्राम जाखल की विक्रीत भूमि (जिसका उल्लेख दावे में विस्तृत रूप से किया गया है।) के द्वारा मिला प्रतिफल मिल गया था व बिरामा उर्फ ईब्राहीम से उक्त सभी वारीसान की सहमति रही है उसी परिपेक्ष्य में सभी ने या तो इकबाली जवाब दिया है या उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं जो पत्रावली से प्रमाणित है। सहमति बिरामा के वारीसान में सभी वादीगण के अलावा जीवित पुत्र व मृत पुत्र मां सफी के वारीसान प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 14 तथा प्रतिवादिया 1 व 9 प्रतिवादी नम्बर 15 लगायत 19 शामिल है। वादग्रस्त भूमि पैत्रिक भूमि जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा वाद–पत्र में विभाजन का अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन की आवश्यकता नही है अतः विभाजन के अनुतोष को छोड़कर अन्य सिद्वियो को स्वीकार फरमाया जाने का निवेदन कर विभाजन की सिद्वि को विड्रा कर लिया गया। वादी को अपने खातेदारी की कृषि भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी से स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम कारी की सरहद में नई खाता संख्या 214 की भूमि खसरा नम्बर 698, 699, 705 रकबा 0.8[illegible], 1.05, 1.35 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 हैक्टर मे वादीगण प्रत्येक को 1/8 – 1/8 हिस्से का खातेदार का[illegible]षित किया जाता तथा इसी भूमि में दर्ज खातेदार बिरमा का नाम हजफ किया जाता [illegible] तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] कर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible]ल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **28.09.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर०ए०एस०) ए०सी०ई०एम०(फा०ट्रे०)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन

मुकदमा सं0:– 039 / 2020 (मोहम्मद युसुफ आदि बनाम लाली बानो आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर०ए०एस०), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.09.2022 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कारी की सरहद में नई खाता संख्या 214 की भूमि खसरा नम्बर 698, 699, 705 रकबा 0.85, 1.05, 1.35 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.25 हैक्टर मे वादीगण प्रत्येक को 1/8 – 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तथा खातेदार बिरमा का नाम हजफ किया जाता है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रखी जाती है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती कर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.09.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए०सी०ई०एम०(फा०ट्रे०) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:26 IST
Reason: SelfAttested